छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 999/2007

1. **श्री अमित सिन्हा** - *अपीलार्थी*
विवेकानंद नगर, राईस मिल रोड़,
अंबिकापुर, जिला- सरगुजा (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. ***जन सूचना अधिकारी,*** - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय छ0ग0 लोक सेवा आयोग,
रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//
(दिनांक 11 अप्रैल, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री अमित सिन्हा ने जन सूचना अधिकारी, कार्यालय छ0ग0 लोक सेवा आयोग, रायपुर के समक्ष दिनांक 28.05.2007 को जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसका उत्तर उन्हें दिनांक 28.06.2007 को दिया गया, उस अपूर्ण जानकारी से असंतुष्ट होकर उनके द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिस पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 14.08.2007 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकर की गई । इस आदेश से असतुष्ट होकर उनके द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 22.10.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ उभय पक्ष की सुनवाई की गई और प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रकरण में अपीलार्थी की प्रथम आपत्ति यह है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी ने बिना सुनवाई किये आदेश पारित किया है तथा आदेश को देखने से प्रतीत होता है कि अपीलार्थी को सुनवाई के लिए आहुत नही किया गया था, अतः प्रथम अपीलीय अधिकारी को भविष्य के लिए सचेत किया जाता है कि वे विधिवत अपील सुनवाई करने के पश्चात् ही आदेश पारित करे । जहॉं तक अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी का प्रश्न है उत्तर पुस्तिकाओं की छायाप्रति मांगी गई थी, वह अधिनियम की धारा-8(1)(ई) के अन्तर्गत छूट माना जाकर उनकी प्रतियॉं दिया जाना आवश्यक नही है, किन्तु उनके द्वारा अन्य जो जानकारियॉं चाही गई है, उसके बारे में अपीलार्थी का तर्क है कि ओएमआर जांच कैसे की गई, इसके बारे में स्पष्ट जानकारी नही दी गई है । इस संबंध में जन सूचना अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे इस संबंध में अपीलार्थी को स्पष्ट और विस्तृत जानकारी जांच की प्रकिया के संबंध में प्रदान करे । सभी अभ्यार्थियों की

विषयवार स्केल्ड व अनस्केल्ड अंक की सीडी देने के संबंध में लोक सेवा आयोग का उत्तर संतोषप्रद प्रतीत होता है और यह जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है तथा अपीलार्थी को इसकी सीडी भी उपलब्ध कराई जा रही है और अपीलार्थी को चाहिये कि वे कार्यालयीन समय पर उपस्थित होकर उसे प्राप्त कर ले । इस प्रकरण में किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नही है, किन्तु अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत छ0ग0 लोक सेवा आयोग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त